



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
रिट अपील क्रमांक 412/2023  
{विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (कर) क्रमांक 183/2023  
में पारित आदेश दिनांक 25-07-2023 से उद्धृत}  
(निर्धारण वर्ष 2016-17)

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक: 01-09-2025

आदेश पारित करने का दिनांक: 15-09-2025

सुनील कुमार जैन श्रीश्रीमाल, आत्मज स्व. श्री मोहनलाल श्रीश्रीमाल,  
आयु लगभग 62 वर्ष, व्यवसाय प्रोप्राइटर, मेसर्स सहेली ज्वेलर्स,  
गांधी चौक, दुर्ग (छ.ग.) - 491001, पैन नंबर AJCPS2009Q

(याचिकाकर्ता)

-----अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य आयकर आयुक्त, केंद्रीय राजस्व भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. उपायुक्त, आयकर सर्कल-1(1), भिलाई (छ.ग.) - 490031
3. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-1(1), आयकर कार्यालय 32/32 बंगला,  
भिलाई (छ.ग.) - 490031
4. राष्ट्रीय फेसलेस निर्धारण केंद्र, नई दिल्ली

-----प्रत्यर्थीगण

-----  
अपीलार्थी/निर्धारिती की ओर से: श्री गणेश पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एवं श्री आनंद डडारिया, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण/राजस्व की ओर से: श्री अमित चौधरी, आयकर विभाग के स्थायी वरिष्ठ अधिवक्ता  
एवं श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता।  
-----



युगल पीठ  
माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवं  
माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्तिगण  
सी.ए.वी. आदेश

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति के अनुसार

- वर्तमान अपीलार्थी/निर्धारिती ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (कर) क्रमांक 183/2023 में पारित आदेश दिनांक 25-07-2023 की वैधानिकता, वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए यह रिट अपील प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश ने आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'आयकर अधिनियम') की धारा 148 क(घ) (Section 148A(d)) के तहत पारित आदेश के साथ जारी धारा 148 के नोटिस दिनांक 26-06-2023 को निरस्त करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें इसमें कोई सार नहीं मिला।
- पूर्वोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर दी गई है:
- 'आईटीबीए' के 'इंसाइट पोर्टल' पर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर, निर्धारिती/अपीलार्थी को जानकारी के साथ आयकर अधिनियम की धारा 148 क(ख) के तहत दिनांक 27-03-2023 को नोटिस जारी किया गया था। निर्धारिती ने इसके विरुद्ध दिनांक 03-04-2023 को सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया। तत्पश्चात, सहायक आयकर आयुक्त द्वारा दिनांक 10-04-2023 को धारा 148 क(घ) के तहत आदेश पारित किया गया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दिनांक 10-04-2023 को ही धारा 148 के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया, जिसके फलस्वरूप रिट याचिका (कर) क्रमांक 119/2023 दायर की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 04-05-2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका स्वीकार कर ली और धारा 148 क(घ) के तहत पारित आदेश दिनांक 10-04-2023 को अपास्त कर दिया। न्यायालय ने मामले को प्रत्यर्थागण को प्रति प्रेषित कर दिया ताकि भारत संघ एवं अन्य बनाम आशीष अग्रवाल<sup>1</sup> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में, निर्धारिती को सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात धारा 148 क(ख) के नोटिस पर नए सिरे से आदेश पारित किया जा सके।
- राजस्व का पक्ष है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-05-2023 के अनुपालन में, सभी प्रासंगिक जानकारी आईटीबीए के इंसाइट पोर्टल पर निर्धारिती को उपलब्ध



करा दी गई और निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई। निर्धारिती से 25-05-2023 को या उससे पहले अपना जवाब प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, निर्धारिती ने श्री नितिन सांखला के बयान की सुपाठ्य प्रतियों और ₹ 60,33,02,548/- की राशि की गणना के आधार की मांग की, जो निर्धारिती को उपलब्ध करा दिए गए। इसके उपरांत, उचित औपचारिकताओं के बाद, आयकर अधिनियम की धारा 148 क(घ) के तहत दिनांक 26/27-06-2023 को आदेश पारित किया गया और अधिनियम में निर्धारित सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हुए तथा धारा 119(1) के तहत जारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देशों का पालन करते हुए धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसे निर्धारिती द्वारा पुनः रिट याचिका (कर) क्रमांक 183/2023 में चुनौती दी गई, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बार दिनांक 25-07-2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया और निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/निर्धारिती ने इस न्यायालय के समक्ष यह रिट अपील प्रस्तुत की है।

5. दिनांक 01-04-2025 को, इस अपीलार्थी/निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश पुरोहित ने इस न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि वह आयकर अधिनियम की धारा 151 क (151A) की प्रयोज्यता के संबंध में उठाए गए विषय पर बल नहीं दे रहे हैं।

6. पूर्वोक्त निवेदन के आलोक में, अपील को सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया।

7. अपीलार्थी/निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश पुरोहित ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए: -

1. पत्र दिनांक 26-05-2023 के अनुसार मांगी गई जानकारी की आपूर्ति नहीं की गई थी और ₹ 60,33,02,548/- की कथित फर्जी खरीद की गणना हेतु आधार-जानकारी न तो उपलब्ध कराई गई और न ही अभिलेख पर उपलब्ध थी। अतः, दिनांक 26-05-2023 के पत्र का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 148 क(घ) के तहत नोटिस का जवाब देने के अवसर से वंचित होना पड़ा। इस संबंध में अनुराग गुप्ता बनाम आयकर अधिकारी व अन्य<sup>2</sup>, श्रीमती वसंती रामदास पई बनाम आयकर अधिकारी व



अन्य<sup>3</sup>, अंकित अग्रवाल बनाम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार एवं झारखंड व अन्य<sup>4</sup> तथा प्रधान आयकर आयुक्त-1 बनाम श्री पुखराज सोनी<sup>5</sup> के निर्णयों का अवलंब लिया है।

2. आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस और धारा 148 क(घ) के तहत पारित आदेश, आयकर अधिनियम की धारा 149 के तहत निर्धारित परिसीमा द्वारा वर्जित थे।

3. नोटिस, अनुमोदन, आदेश और संचार बिना 'दस्तावेज पहचान संख्या' (DIN) के हैं और दिनांक 14-08-2019 के सी.बी.डी.टी. (CBDT) परिपत्र क्रमांक 19/2019 का उल्लंघन करते हैं। इस संबंध में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त व अन्य<sup>6</sup>, प्रधान आयकर आयुक्त बनाम टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट<sup>7</sup>, आयकर आयुक्त बनाम लेज़रवर्ल्स यूएस इंक<sup>8</sup>, आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) बनाम ब्रांडिक्स मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड<sup>9</sup> तथा टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर<sup>10</sup> के निर्णयों का अवलंब लिया है।

4. आयकर अधिनियम की धारा 148 क(घ) के तहत दिए गए आदेश में दिनांक 01-08-2022 के निर्देशानुसार सी.बी.डी.टी. के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और इस संबंध में आयकर आयुक्त बनाम सन इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड<sup>11</sup> के निर्णय का अवलंब लिया है। ।

अतः, अपील स्वीकार की जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त किया जाए।

8. आयकर विभाग/राजस्व/प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री अमित चौधरी ने यह तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका (कर) क्रमांक

3 WP No.8797/2022, decided on 12-2-2024 (Karnataka High Court)

4 Civil Writ Jurisdiction Case No.5202/2024, decided on 18-4-2025 (Patna High Court)

5 I.T.A.No.53/2017, decided on 6-2-2019 (MP High Court)

6 (2024) 8 NYPCTR 575 (Bom)

7 (2023) 459 ITR 155 : 2023 SCC OnLine Cal 5764

8 [2025] 175 taxmann.com 920 (Madras)

9 (2023) 456 ITR 34 : 2023 SCC OnLine Del 6481

10 (2015) 11 SCC 628

11 (1992) 4 SCC 363





119/2023 में पारित आदेश दिनांक 04-05-2023 के अनुपालन में, सभी प्रासंगिक जानकारी दिनांक 15-05-2023 के संचार के माध्यम से निर्धारिती को प्रदान कर दी गई है, जिसकी प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक पी-8 के रूप में दाखिल की गई है। उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि चूंकि वर्तमान मामला एक 'गैर-पैन' मामला है, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 148 क की कार्यवाही 'आईटीबीए पोर्टल' के माध्यम से प्रारंभ नहीं की जा सकती थी। परिणामस्वरूप, दिनांक 14-08-2019 के परिपत्र क्रमांक 19/2019 के तहत प्रदत्त अपवाद के दृष्टिगत, किसी डी.आई.एन. (DIN) संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी निवेदित किया कि धारा 148 क(घ) के तहत एक प्रारूप आदेश, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्थात् मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर के अनुमोदन हेतु आवश्यक प्रोफार्मा के साथ भेजा गया था और संपूर्ण सामग्री/जानकारी तथा प्रारूप आदेश का परिशीलन करने के पश्चात, मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर ने धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। परिसीमा के संबंध में, आयकर विभाग के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुनः निर्धारण 'इंसाइट पोर्टल' के माध्यम से प्राप्त विश्वसनीय और विशिष्ट जानकारी के आधार पर शुरू किया गया है, जिसे 'उच्च जोखिम सी.आर.आई.यू./वी.आर.यू.' के रूप में चिह्नित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से मेसर्स नवकार ज्वेलर्स, दुर्ग से ₹ 60.33 करोड़ की फर्जी खरीद का संकेत देता है। चूंकि संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूटी हुई आय ₹ 50 लाख से अधिक है, इसलिए यह मामला आयकर अधिनियम की धारा 149(1)(ख) के तहत प्रदत्त 10 वर्ष की विस्तारित समय-सीमा के भीतर आता है और इसलिए नोटिस जारी किया जाना वैधानिक ढांचे के भीतर है और इसे परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके द्वारा ऊपर किए गए परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन भी किया है।
10. यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। मुकदमेबाजी के पहले दौर में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 04-05-2023 के आदेश द्वारा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आयकर अधिनियम की धारा 148 क(घ) के तहत पारित दिनांक 10-04-2023 के आदेश के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी दिनांक 10-04-2023 के नोटिस को अपास्त कर दिया था और मामले को संबंधित प्राधिकारी को वापस भेज दिया था ताकि **आशीष अग्रवाल** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व द्वारा भरोसा की गई सभी प्रासंगिक जानकारी की आपूर्ति की जा सके। राजस्व



का यह पक्ष है कि दिनांक 04-05-2023 के आदेश के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी प्रदान कर दी गई है, जिसे रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-8 (पेपर बुक के पृष्ठ 91 से 110) के रूप में संलग्न किया गया है। राजस्व का यह रुख है कि 15-05-2023 को निर्धारिती को संपूर्ण जानकारी विधिवत प्रदान की गई थी जिसे आईटीबीए (ITBA) के इंसाइट पोर्टल पर प्राप्त किया गया है और निर्धारिती से 25-05-2023 को या उससे पहले जवाब प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था, तथापि, निर्धारिती संतुष्ट नहीं था और उसने अधिक जानकारी की मांग की थी।

11. इस संबंध में, **रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी**<sup>12</sup> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि प्रारंभिक चरण में, न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया ऐसी कोई जानकारी थी जिसके आधार पर विभाग मामले को पुनः संस्थित कर सकता था और जानकारी की पर्याप्तता या शुद्धता इस स्तर पर विचारणीय विषय नहीं है। माननीय न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 147(क) के तहत मामले को पुनः संस्थित करने की कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

“इस मामले में, हमें इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं देना है कि निर्धारिती द्वारा भौतिक तथ्यों को छिपाया गया है या नहीं। हमें केवल यह देखना है कि क्या प्रथम दृष्टया ऐसी कोई जानकारी थी जिसके आधार पर विभाग मामले को पुनः संस्थित कर सकता था। जानकारी की पर्याप्तता या शुद्धता इस स्तर पर विचार की जाने वाली बात नहीं है। हमारा यह विचार है कि इस मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय मामले को पुनः संस्थित करने की प्रक्रिया को अपास्त नहीं कर सकता है। निर्धारिती के लिए यह साबित करना खुला रहेगा कि नोटिस में की गई तथ्यों की धारणा त्रुटिपूर्ण थी। निर्धारिती यह भी सिद्ध कर सकता है कि निर्धारण कार्यवाही पूरी होने के बाद आयकर अधिकारी के संज्ञान में कोई नए तथ्य नहीं आए। हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तथ्य और विधि के प्रश्नों को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जांचने और तय करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। अपीलार्थी निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष सभी बिंदु उठाने का हकदार होगा। अपीलें खारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।”

12. इसके अतिरिक्त, **अंशुल जैन बनाम प्रधान आयकर आयुक्त**<sup>13</sup> के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की युगल पीठ (रिट न्यायालय) ने **रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निर्णय का अवलंब लेते हुये आयकर अधिनियम की धारा

12 [1999] 236 ITR 34 (SC)

13 [2022] 143 taxmann.com 37 (Punj. & Har.)



148 क(घ) के तहत पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और निर्धारिती के लिए यह विकल्प खुला रखा है कि वह धारा 148 के तहत जारी नोटिस के परिणामस्वरूप होने वाली पुनः निर्धारण कार्यवाहियों में ऐसे आदेश को चुनौती देने के सभी आधार उठा सके और निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

“8. अतः, सुसंगत विचार यह है कि जहाँ कार्यवाही अभी तक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाई गई है, रिट न्यायालय को ऐसे समय-पूर्व चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ केवल नोटिस के पठन मात्र से ही यह स्वतः सिद्ध माना जा सके कि प्राधिकारी ने उस क्षेत्राधिकार को ग्रहण कर लिया है जो उसमें निहित नहीं है। धारा 148 क(घ) के तहत पारित आदेश की शुद्धता को तथ्यात्मक आधार पर चुनौती दी जा रही है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि क्षेत्राधिकार निहित होने के बावजूद उसका दोषपूर्ण प्रयोग किया गया है। अब तक यह सुस्थापित हो चुका है कि क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि और क्षेत्राधिकार के भीतर विधि/तथ्य की त्रुटि के मध्य एक स्पष्ट अंतर है। त्रुटियों के सुधार के लिए वैधानिक उपचार प्रदान किया गया है।”

9. विधि के पूर्वोक्त सुस्थापित सिद्धांत के आलोक में, हम पाते हैं कि इस मध्यवर्ती स्तर पर, जब प्रारंभ की गई कार्यवाहियाँ अभी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाई गई हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। अतः रिट याचिका खारिज की जाती है।

13. जब राजस्व द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाया गया, तब **अंशुल जैन बनाम प्रधान आयकर आयुक्त**<sup>14</sup> के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय/रिट न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और निम्नानुसार टिप्पणी की: -

“1. उच्च न्यायालय के समक्ष जिसे चुनौती दी गई थी, वह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 क(घ) के तहत पुनः निर्धारण का नोटिस था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात नोटिस जारी किए गए हैं।



यदि इसके बाद याचिकाकर्ता को गुण-दोष के आधार पर कोई शिकायत है, तो उसे पुनः निर्धारण की कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

1. परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को सही ढंग से खारिज किया है।
2. इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।”

14. इस प्रकार, **रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसका अनुसरण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा **अंशुल जैन** (पूर्वोक्त) में किया गया और जिसे आगे उच्चतम न्यायालय द्वारा **अंशुल जैन** (पूर्वोक्त) में संपुष्ट किया गया है, के दृष्टिगत हमारी यह सुविचारित राय है कि इस स्तर पर जानकारी की पर्याप्तता या शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती है। निर्धारिती के लिए यह विकल्प खुला है कि वह सभी तथ्यों को सिद्ध करे और यह प्रदर्शित करे कि जारी किया गया नोटिस त्रुटिपूर्ण है। परिसीमा के संबंध में जो भी तर्क दिए जाने थे, वे निर्धारण अधिकारी के समक्ष उठाए जा सकते हैं, क्योंकि विभाग ने प्रथम दृष्टया ऐसी जानकारी प्रदर्शित की है जिसके आधार पर निर्धारण को पुनः संस्थित करना अपेक्षित है।

15. अपीलार्थी/निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सभी निर्णय, जो **अनुराग गुप्ता** (पूर्वोक्त) से लेकर **सन इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले तक हैं, वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

16. मामले के उक्त परिप्रेक्ष्य में, हमें इस रिट अपील में कोई सार नहीं मिलता है; यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार बिना किसी लागत के खारिज की जाती है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और विधि एवं तथ्य के प्रश्न निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विचार और निर्णय किए जाने हेतु खुले छोड़ दिए गए हैं। अपीलार्थी उन सभी बिंदुओं को निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उठाने का हकदार होगा जो रिट याचिका और रिट अपील में उठाए गए थे।

सही /- (संजय के. अग्रवाल) न्यायाधीश	सही /- (संजय जायसवाल) न्यायाधीश
---	---------------------------------------





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

